संयुक्त राज्य शिक्षा विभाग
नागरिक अधिकार कार्यालय:

उच्च-स्तरीय शिक्षा में
समान अभिगमन सुनिश्चित करना

U.S. Department of Education
Office for Civil Rights
Washington, DC 20202-1100

संशोधित सितम्बर 2004

नागरिक अधिकार कानूनों का प्रभाव

संघीय नागरिक अधिकार कानूनों के प्रभाव से अमरीकी शिक्षा में सघन परिवर्तन लाने में मदद मिली है तथा इससे लाखों विद्यार्थियों के शैक्षणिक अवसरों में सुधार हुआ है। पहले ऐसी बहुत सी बाधाएँ थीं जो व्यक्तियों को इच्छित शैक्षणिक अवसरों तथा जीवन-वृत्तियों का सरलता से चयन करने से रोकती थीं, अब उन्हें काफी हद तक समाप्त कर दिया गया है। अब बहुत सी विद्यालय प्रणालियाँ उन विद्यार्थियों के लिए, जो अंग्रजी में पारंगत नहीं हैं, अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रभावी रूप से भाग लेना सम्भव बना रही हैं। अब बहुत से विद्यार्थी, जो अक्षमता से प्रभावित हैं, अनुपूरक साधनों एवं सेवाओं के प्रबन्ध से नियमित शैक्षणिक कक्षाओं में भाग लेने में समर्थ हो गए हैं।

इसके अतिरिक्त, 2001 का कोई बच्चा पीछे न छूटे अधिनियम (No Child Left Behind Act of 2001) (NCLB Act), वह कानून जो संघीय शैक्षणिक कार्यक्रमों में व्यापक रूप से सुधार करता है, विभाग की शिक्षा में समान अभिगमन को सुनिश्चित करने एवं राष्ट्र भर में शैक्षणिक उत्कृष्टता के संवर्द्धन के मिशन को संवर्द्धित करता है। NCLB अधिनियम में यह सुनिश्चित करने हेतु विनिर्दिष्ट प्रबन्ध किए गए हैं कि जाति, मानव जातीयता, लिंग, अक्षमता अथवा सामाजिक-आर्थिकस्थिति में भेद किए बिना बच्चों को उच्च-स्तर की शिक्षा में अभिगमनप्राप्त हो।

नागरिक अधिकार संबंधी कानूनों ने हमारे विद्यालयों, कक्षाओं, सभागारों, खेलकूद स्थलों तथा रंगभूमियों के द्वारों को खोल दिया है। इसकी प्रतिक्रिया में, कई भिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले लोग, जो आज के अमरीका का प्रतिनिधित्व करते हैं, व्यापार, सरकार, विज्ञान, कला तथा शिक्षा में हमारे भावी नेता बनने हेतु उस द्वारों से प्रवेश कर रहे हैं। नागरिक अधिकार कानून, NCLB अधिनियम के संयोजन में, यह सुनिश्चित करेंगे कि ये द्वार सभी के लिए खुले रहें।

नागरिक अधिकार कार्यालय की ज़िम्मेदारियाँ

अमरीकी शिक्षा विभाग (विभाग) में, नागरिक अधिकार कार्यालय (OCR), एक कानून प्रवर्तनकारी अभिकरण है जिसे संघीय कानूनों को यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि संघीय वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही शैक्षणिक संस्थाएं भेदमूलक व्यवहार में शामिल न हों। OCR उन संघीय नागरिक अधिकार कानूनों का प्रवर्तन करता है जो जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, लिंग, अक्षमता तथा आयु के आधार पर उन कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों में भेदभाव को प्रतिबन्धित करते हैं। नागरिक अधिकार कानून शैक्षणिक कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों में भेदभाव समाप्त करने की प्रतिबद्धता के परिचायक हैं। ये कानून हैं:

- ❖ 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम (Civil Rights Act of 1964) का दावा VI (जाति, रंग तथा राष्ट्रीय मूल भेदभाव को प्रतिबन्धित करता है);

- ❖ 1972 के शिक्षा संशोधन (Education Amendments of 1972) का दावा IX (लिंग भेदभाव को प्रतिबन्धित करता है);

- ❖ 1973 के पुनर्वास अधिनियम (Rehabilitation Act of 1973) की धारा 504 (अक्षमता भेदभाव को प्रतिबन्धित करती है);

- ❖ 1975 का आयु भेदभाव अधिनियम (Age Discrimination Act of 1975) (आयु भेदभाव को प्रतिबन्धित करता है); तथा

- ❖ 1990 के अक्षमता सहित अमरीकी अधिनियम (Americans with Disabilities Act of 1990) का दावा II (सार्वजनिक हस्तियों, जिसमें सार्वजनिक विद्यालय जनपद, सार्वजनिक कॉलेज तथा विश्वविद्यालय, सार्वजनिक व्यावसायिक विद्यालय एवं सार्वजनिक ग्रन्थालय सम्मिलित हैं चाहे उन्हें संघीय वित्तीय सहायता प्राप्त होती है अथवा नहीं, द्वारा भेदभाव को प्रतिबन्धित करता है)।

इसके अतिरिक्त, OCR अमरीका बालचर समान अभिगमन अधिनियम (Boy Scouts of America Equal Access Act) का प्रर्वतन करता है, जो कोई बच्चा पीछे न छूटे अधिनियम, 2001 (No Child Left Behind Act of 2001) का भाग है। अमरीका बालचर समान अभिगमन अधिनियम के अन्तर्गत, कोई भी सार्वजनिक प्रारम्भिक विद्यालय, सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय अथवा राज्य या स्थानीय शिक्षा अभिकरण, जो एक अथवा अधिक बाह्ययुवा अथवा सामुदायिक समूहों को विद्यालय परिसरों अथवा विद्यालय के समय से पहले अथवा बाद में विद्यालय सुविधाओं में मिलने का अवसर उपलब्ध कराता है, अमरीका बालचरों से सरकारी रूप से जुड़े हुए किसी समूह अथवा संयुक्त राष्ट्र कूट के दावा **36** में देशभक्त समाज के रूप में, सूचीगत किसी अन्य युवा को समान अभिगमन अथवा मिलने हेतु न किसी निष्पक्ष अवसर से वंचित करेगा, अथवा न उनके साथ भेदभाव करेगा।

OCR की अधिकतम गतिविधियाँ देश में अवस्थित प्रवर्तन कार्यालयों के सहायक कार्यालयों में होती हैं। वाशिंग्टन, डी.सी., में नागरिक अधिकार के सहायक सचिव काकार्यालय समग्र नेतृत्व एवं समन्वय उपलब्ध कराता है।

ये कानून शिक्षा संस्थाओं पर लागू होते हैं

नागरिक अधिकार कानून देश में अधिकतर शिक्षा संस्थाओं पर लागू होते हैं क्योंकि अधिकतर शिक्षा संस्थाएँ किसी न किसी प्रकार की संघीय वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं। इसका अर्थ है कि नागरिक अधिकार कानूनों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- लगभग 15,000 विद्यालय जनपद;
- 4,100 से अधिक कॉलेज तथा विश्वविद्यालय;
- लगभग 5,000 संस्थाएँ जो सहायक डिग्री स्तर के नीचे के प्रमाणपत्र देती हैं, जैसे ट्रक चालकों हेतु प्रशिक्षण विद्यालय तथा कॉस्मेटोलोजी विद्यालय; तथा
- हज़ारों अन्य हस्तियाँ, जैसे ग्रन्थालय, म्यूज़ियम, व्यावसायिक पुनर्वास अभिकरण तथा उपचारात्मक सुविधाएँ।

ये कानून विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों पर लागू होते हैं

नागरिक अधिकार कानून बड़ी संख्या में उन विद्यार्थियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं जो निम्न रूप में या तो हमारे संस्थाओं में पहले से ही उपस्थित हैं अथवा इनमें प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर रहे हैं:

- लगभग 54.3 मिलियन विद्यार्थी जो प्रारम्भिक तथा उच्च विद्यालयों में उपस्थित हैं; तथा
- लगभग 16.4 मिलियन विद्यार्थी जो हमारे कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में उपस्थित हैं।

कतिपय स्थितियों में, कानून उन व्यक्तियों को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं जो शिक्षा संस्थाओं में रोज़गारयुक्त हैं, अथवा रोज़गार की तलाश में हैं।

OCR सामान्य लोगों से भेदभाव संबंधी शिकायतें प्राप्त करता है

एक महत्त्वपूर्ण तरीका, जिसमें OCR अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाता है वह है, विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा अन्यों द्वारा दर्ज कराई गयी शिकायतों का निबटान करता है। यह आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति अथवा संगठन शिकायत दर्ज करवा रहा है, वही उस तथाकथित भेदभाव का शिकार हो, वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा समूह की ओर से शिकायत कर सकता है। सामान्यतया, OCR केवल उन शिकायतों के सम्बन्ध में ही कार्यवाही करेगी जो तथाकथित भेदभाव की अन्तिम गतिविधि के 180 कैलेण्डर

दिनों के भीतर दर्ज कराई गई हैं, अथवा जहाँ पर शिकायत में यह आरोप है कि कोई नियमित रहने वाली भेदमूलक नीति अथवा प्रक्रिया है।

OCR प्रति वर्ष अनुमानतः 5,000 शिकायतें प्राप्त करता है। इन शिकायतों में उच्च स्तरीय शिक्षा में अभिगमन संबंधी कुछ अधिकतम महत्त्वपूर्ण मुद्दे सम्मिलित होते हैं।

दावा IV के अन्तर्गत - जाति, रंग, तथा राष्ट्रीय मूल भेदभाव - शिकायतें निम्न प्रकार की हैं:

- क्षमता समूहीकरण समेत जातीय अथवा मानवजातीय वर्गीकरणो का प्रयोग;
- अंग्रेजी - भाषा सीखने वालों द्वारा वैकल्पिक - भाषा सेवाओं में अभिगमन;
- अनुशासनात्मक प्रक्रियाएँ;
- विद्यार्थी कार्य नीतियाँ, जिसमें प्रतिभाशाली एवं गुणी कार्यक्रमों के कार्य सम्मिलित हैं;
- अन्तरजनपद विद्यार्थी अन्तरण;
- विद्यालय वर्णभेद दूर करना;
- जातीय उत्पीड़न;
- कॉलेज कैम्पस पर विद्यार्थी आवास; तथा
- शैक्षिक श्रेणीकरण।

दावा IX के अन्तर्गत - लिंग भेदभाव - शिकायतें जिसमें निम्न मुद्दे सम्मिलित हैं:

- यौन उत्पीड़न;
- अन्तर विद्यालयी शैक्षिक तथा अन्तर महाविद्यालयी खेलकूद में समान अवसर;
- गर्भवती विद्यार्थियों का उपचार; तथा
- माध्यमिकोत्तर संस्थाओं में प्रवेश।

धारा 504 तथा दावा II के अन्तर्गत - अक्षमता भेदभाव - शिकायतों में निम्न प्रकार के मुददे सम्मिलित हैं:

- विद्यार्थी सुविधाओं एवं कार्यक्रमों में अभिगमन;
- यथोचित विशेष शिक्षा सेवाएँ;
- उन विद्यार्थियों का मूल्यांकन एवं स्थापन जिन्हें विशेष शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता है;
- विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुसार न्यूनतम प्रतिबन्धात्मक वातावरण में शिक्षित करना;
- अक्षमता से प्रभावित विद्यार्थियों का निलम्बन एवं निष्कासन;
- शैक्षिक समायोजन एवं संशोधन; तथा
- क्षीण संवेदी, हस्त अथवा वाचन निपुणताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के लिए सहायक साधन।

OCR किस प्रकार शिकायतों का निबटान करता है

OCR का शिकायत निबटान में मुख्य उद्देश्य है, शिकायतकर्त्ता के भेदभाव आरोपों को तुरन्त, निष्पक्षतापूर्ण एवं यथोचित रूप से निबटाना। OCR ने पाया है कि समस्याओं को निबटाने का अति उत्तम तरीका है, विद्यार्थियों, अभिभावकों, सामुदायिक समूहों, राज्य एवं स्थानीय शिक्षा अभिकरणों, विद्यालयों तथा कॉलेजों, के मध्य सहयोगपूर्ण प्रस्ताव।

OCR शिकायतों के निबटान की विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करता है, जिसमें आरम्भिक शिकायत निबटान से लेकर स्वैच्छिक अनुपालन हेतु प्राप्तकर्त्ता के साथ जाँचपड़ताल तथा समझौतापूर्ण अनुबन्ध शामिल हैं।

जब OCR यह निर्धारित कर लेता है कि स्वैच्छिक साधनों के माध्यम से अनुपालन सुरक्षित करना सम्भव नहीं है तब OCR प्रशासनिक सुनवाई प्रक्रिया केमाध्यम से अनुपालन की मांग करता है अथवा यू.एस. विधि विभाग को मामले

सुपुर्द कर देता है। यह लचीला प्रस्ताव OCR को निम्नलिखित की अनुमति देता है :

- ❖ शिकायत प्रक्रिया के आरम्भ में ही सामयिक एवं प्रभावी हस्तक्षेप उपलब्ध कराना;
- ❖ भेदभाव-रोधी संविधियों के अनुपालन की प्राप्ति पर संकेन्द्रित करना; तथा
- ❖ विद्यार्थियों, अभिभावकों, तथा विद्यालय अधिकारियों को शिकायतों के निबटान के केन्द्र में रखना।

OCR अनुपालन समीक्षा कार्यान्वित करता है

अभिकरण-प्रवर्तित मामले, जिन्हें प्रारूपिक रूप में "अनुपालन समीक्षाएँ" कहा जाता है, OCR के उन अनुपालन समस्याओं पर संसाधनों को लक्षित करने की अनुमति देता है जो विशेषकर संगीन, कार्यक्षेत्र में राष्ट्रीय दिखते हैं, अथवा जो नए-नए उभरकर आ रहे हैं।

लक्षित अनुपालन समीक्षाएँ OCR के संसाधनों के प्रभाव को अधिकतम बनाती हैं तथाप्र वर्तन कार्यक्रम को सन्तुलित करती हैं। अनुपालन समीक्षाएँ ये सुनिश्चित करती हैं किसं वेदनशील समूह, जैसे कि बहुत निर्धन अथवा ग़ैर-अंग्रज़ी बोलने वाले व्यक्ति, जिन्हें शायद कानूनों का ज्ञान कम हो, अपने नागरिक अधिकारों को सुरक्षित करा लें। OCR का अनुभव यह दर्शाता है कि अनुपालन समीक्षाओं को ध्यानपूर्वक लक्षित करने से लगभग सर्वदा प्राप्तकर्त्ता के नीति अथवा कार्यक्रम में परिवर्तन करने में फलित होता हैजो एक विशाल संख्या में विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाते हैं - बनिस्बत उन शिकायतों के जहाँ पर उपचार मात्र शिकायतकर्त्ता पक्ष को ही लाभ पहुँचाता है।

OCR का अनुपालन समीक्षाओं का चयन आंशिक रूप में, सूचना के विभिन्न स्रोतों के आधार पर करता है, जिसमें सर्वेक्षण आंकड़े तथा शिकायतकर्त्ता, शिक्षा समूहों, मीडिया तथा जनसाधारण द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना सम्मिलित है। OCR ने निम्न प्रकार के मुद्दों पर अनुपालन समीक्षाएँ करवाई हैं :

- ❖ विशेष शिक्षा एवं लो-ट्रैक पाठ्यक्रमों में अल्पसंख्यक विद्यार्थी;
- ❖ अंग्रेज़ी भाषा सीखने वालों का विद्यालय जनपदों के शैक्षणिक कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त करने हेतु वैकल्पिक-भाषा सेवाओं में अभिगमन;
- ❖ अक्षमता से प्रभावित विद्यार्थिंयों हेतु निःशुल्क यथोचित सार्वजनिक शिक्षा;

- प्रतिभाशाली तथा गुणी एवं अन्य उन्नत स्थापन पाठ्यक्रमों में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों का अभिगमन;
- जातीय उत्पीड़न;
- यौन प्रतिकूल वातावरण; तथा
- उच्चतर शिक्षा एवं प्रारम्भिक तथा माध्यमिक विद्यालय प्रणालियों में वर्णभेद दूर करना;

OCR मानता है कि संघीय, राज्य, तथा स्थानीय शिक्षा अभिकरण अभिभावक तथा अन्य इच्छुक दल भी शैक्षणिक लाभों के समान अवसर तथा अभिगमन उपलब्ध कराने का एक आम लक्ष्य रखते हैं। OCR अपनी दक्षता को इन सहभागियों एवं अंशधारियों की दक्षता से संयोजित करता है ताकि प्रभावी समाधान ढूंढे जा सकें, जिसमें शैक्षणिक रूप से सही उपचार सम्मिलित हैं जो सभी विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक अवसरों को संवृद्ध करता है।

OCR की तकनीकी सहायता लोगों तथा संस्थाओं की मदद करती है

OCR तकनीकी सहायता प्रयासों का उद्देश्य है नागरिक अधिकार कानूनों के उल्लंघन को रोकना। यह उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं को कानूनों का पालन करने में मदद करके तथा लाभार्थियों को उनके अधिकारों का बोध कराके प्राप्त की जाती है। लाखों विद्यार्थियों को नागरिक अधिकार कानूनों से सुरक्षा प्राप्त करते देखते हुए, OCR यह मानता है कि केवल इसके प्रयास शिक्षा में गैर कानूनी भेदभाव को रोकने हेतु अपर्याप्त हैं। विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा शिक्षाविदों में इतना ज्ञान एवं दक्षताएँ अवश्य होनी चाहिएँ कि वे गैर कानूनी भेदभाव को घटित होने से ही रोक सकें।

OCR संस्थाओं को इस योग्य होने हेतु सहायता उपलब्ध कराता है कि वे शिकायत निबटान प्रक्रिया अथवा किसी अनुपालन समीक्षा के दौरान अनुपालन कर सकें। इसके अतिरिक्त, OCR विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से, जिसमें स्थल पर परामर्श, प्रशिक्षण कक्षाएँ, कार्यशालाएँ, बैठकें तथा सम्मेलनों में भाग लेना सम्मिलित है, तकनीकी सहायता पहुँचाने के एक व्यापक कार्यक्रम का आयोजन करता है। OCR अन्य संघीय अभिकरणों, राज्य तथा स्थानीय शैक्षणिक अभिकरणों, सामुदायिक समूहों, अभिभावकों, विद्यार्थियों तथा जनसाधारण से प्राप्त प्रश्नों एवं सहायता संबंधी निवेदनों पर प्रतिक्रिया करता है।

कई OCR कार्यालयों ने हमारे सहभागियों, अंशधारियों तथा जनसाधारण सदस्यों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण होने के लिए उपभोक्ता सेवा दलों को विकसित किया है। OCR ने एक होम पेज, http://www.ed.gov/ocr, की स्थापना की है, जिसे विभाग की वेब साईट के साथ भी जोड़ा गया है।

भावी चुनौतियाँ

हालांकि हम नागरिक अधिकार कानूनों के प्रवर्तन से हुई प्रगति की पहचान करते हैं, तथापि देश में कुछ लोगों को सम्पूर्ण शैक्षणिक अवसरों से गैर कानूनी रूप से वंचित किया जाता है। वे नीतियाँ तथा धारणाएँ अभी भी अस्तित्व में हैं जो अक्षमता से प्रभावित लोगों, महिलाओं, वृद्ध अमरीकियों तथा जातीय एवं भाषाई अल्प संख्यकों को चुनौतिपूर्ण पाठ्यक्रमों एवं कार्यक्रमों से वंचित रखती हैं। नागरिक अधिकार अनुपालन कार्यक्रम के लक्ष्यों के प्रति वचनबद्धता - सभी विद्यार्थियों हेतु समान अभिगमन, शैक्षणिक उत्कृष्टता, तथा उच्च मानक एक ऐसा निवेश है जिसे अवश्य किया जाना चाहिए, यदि हम अमरीका के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं।

OCR से सम्पर्क करना

OCR के राष्ट्रीय मुख्यालय में उपभोक्ता सेवा दल OCR की हॉटलाईन का उत्तर देता है। कॉल करने वाले लोग, हॉटलाईन का प्रयोग विभिन्न प्रकार के मुद्दों के विषय में पूछताछ करने हेतु करते हैं, जो संघीय नागरिक अधिकार कानूनों तथा OCR नीतियों एवं मार्ग निर्देशों से सम्बन्धित हैं, तथा OCR के प्रवर्तन कार्यक्रम के विषय में सूचना प्राप्त करने के विषय में हैं।

यदि आप नागरिक अधिकार कार्यालय द्वारा प्रवर्तित किए जा रहे कानूनों के विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं, कि किस प्रकार एक नागरिक अधिकार शिकायत दर्ज कराई जाए, अथवा किस प्रकार तकनीकी सहायता प्राप्त की जाए, तो आप प्रवर्तन कार्यालय से सम्पर्क करें जो आपके राज्य अथवा यू.एस. राज्य क्षेत्र की सेवा करता है। प्रवर्तन कार्यालयों से http://www.ed.gov/ocr/contactus.html पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अधिक सूचना हेतु:

OCR हॉटलाईन: 1-800-421-3481;TDD: 877-521-2172

ई-मेल: OCR@ed.gov

वेब: http://www.ed.gov/ocr